



राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/अंक मिलान/ 6110

दिनांक 22/10/2020

समस्त
बजट नियन्त्रण अधिकारी
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाइन अंकमिलान के संबंध में।


संदर्भ:- वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग का परिपत्र दिनांक
09.07.2019 एवं 15.05.2020

महोदय,

उक्त परिपत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित अंकमिलान का कार्य ऑनलाइन किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए थे। माह अगस्त 2020 तक का डाटा ऑनलाइन अंकमिलान हेतु <http://rajors.raj.nic.in> पर उपलब्ध है परन्तु यह दृष्टिगत हो रहा है कि विभाग/कार्यालय ऑनलाइन अंकमिलान कार्य सम्पादित नहीं कर रहे हैं।

ऑनलाइन अंकमिलान करने पर ही अंकमिलान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। अतः इस प्रकरण को गम्भीरता को देखते हुए अविलम्ब लंबित अंकमिलान कार्य ऑनलाइन ही सम्पादित कर अंकमिलान मीमों महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय


(टी.रविकान्त)

शासन सचिव, वित्त (बजट)